न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 05/2015-16

गुलाम रब्बानी पिता स्व0 अब्दुल गफूर – **अपीलकर्त्ता**
ग्राम–चर्च रोड कर्बला चौक, थाना–लोअर बाजार,
जिला–राँची।

बनाम्

अंचल अधिकारी, खूँटी। – **विपक्षी**

आदेश

18.07.19

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–127R27/15-16 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.15 के विरूद्ध दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
भंडरा	खूँटी 97	110	789	0.54
			787	1.16
				1.70

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में Admit किया गया। आवेदक कथन करते है कि उन्होने उपरोक्त भूमि पंजीकृत बिक्री केवाला सं0 7370/1337 दिनांक 08.11.14 से क्रय की है। उपरोक्त केवाला पट्टा के निष्पादनकर्त्ता मंसुर आलम पिता स्व0 लियाकत हुसैन (मियां) है। विक्रेता के पिता के द्वारा उक्त भूमि निलामी से खरीद की गयी थी। जो उन्हें आपसी बँटवारे से प्राप्त हुई है जिसपर वे शांतिपूर्ण दखलकार हुये। अपने हिस्से में आई भूमि को आवेदक के पक्ष में बिक्री किये है एवं दखल दे दिये है।

आवेदक/अपीलेंट पुनः कथन करते है कि अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.15 तथ्य एवं विधि विरूद्ध है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक को सुने बिना उपरोक्त आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूध है।

अंचल अधिकारी, खूँटी ने हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि मौजा भण्डरा के खाता नं0– 110 प्लॉट नं0– 789 रकबा– 0.54 एकड़ एवं प्लॉट नं0– 787 रकबा– 1.16 एकड़ कुल रकबा 1.70 एकड़ का राजस्व पंजी– II रैयत मंसुर आलम पिता स्व0 लियाकत हुसैन (मियां) दर्ज है। खतियान में खाता नं0– 110 गैर मजरूवा खास दर्ज है। आवेदित भूमि के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आपत्ति की गयी है। भूमि पर क्रेता का दखल नहीं पाया गया। प्लॉट नं0– 789 वन क्षेत्र प्लॉट है। अपीलकर्त्ता से M-Form का सत्यापन प्रति की मांग किया गया परन्तु अपीलकर्त्ता द्वारा M-Form का सत्यापित प्रति न्यायालय में जमा नहीं किया गया।

अंचल अधिकारी, खूँटी से न्यायालय पत्रांक 244/न्या0 दिनांक 12.10.18 द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में जांच प्रतिवेदन का मांग किया गया। अंचल अधिकारी, खूँटी ने अपने पत्रांक 941 दिनांक 02.11.18 द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा भण्डरा थाना नं0 79 खाता नं0 110 प्लॉट नं0 789 आर0 एस0 खतियान गैरमजुरूआ खास है रकबा 19.75 एकड़ एवं प्लॉट नं0 787 रकबा 7.56 एकड़ किस्म जंगल साखु दर्ज है।

वन क्षेत्र भूमि का स्थाननांतरण वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 की धारा 2 में वर्णित ''वन भूमि'' का अर्थ आरक्षित वन, सुरक्षित वन या सरकारी अभिलेखों में वन (जंगल/झाड़ी) के रूप में दर्ज किया गया कोई भी क्षेत्र, भले ही उसका स्वामित्व किसी का हो, है नहीं किया जा सकता है।

अतः अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

18/07/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

18/07/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।